भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2662

07 अगस्त, 2024

गन्ना किसानों की बकाया राशि

2662. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सरकारी और निजी चीनी मिलों ने वर्ष 2023-24 के लिए किसानों को गन्ने की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के किसानों को गन्ने की उक्त बकाया राशि का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है ताकि किसान अपने बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान कर सकें और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकें?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): वर्तमान चीनी मौसम (अक्टूबर-सितंबर) 2023-24 के दौरान, जिला लखीमपुर खीरी में प्रचालनरत सहकारी और निजी क्षेत्र की कुल 9 चीनी मिलों में से 6 चीनी मिलों ने कुल बकाया के मुकाबले 100% भुगतान कर दिया है और निजी क्षेत्र की केवल 3 चीनी मिलों पर आंशिक गन्ना बकाया है।

वर्तमान चीनी मौसम 2023-24 में, लखीमपुर खीरी जिले की इन 3 चीनी मिलों पर लंबित गन्ना बकाए की स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम. संख्या	**चीनी मिल का नाम**	**बकाया (करोड़ रुपये में)**
1	गोला गोकरननाथ	291.60
2	पलियाकलान	232.98
3	खंभारखेरा	191.75
	कुल	**716.33**

...2/-

(ग): वर्तमान चीनी मौसम 2023-24 के शेष बकाए का शीघ्र भुगतान हेतु गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा लखीमपुर खीरी जिले की इन चीनी मिलों को दिनांक 15.03.2024, 12.04.2024 एवं 29.05.2024 को नोटिस जारी किये गए हैं। इसके अलावा, समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर बुलाई गई समीक्षा बैठकों के माध्यम से, बाकीदार (डिफ़ॉल्टिंग) चीनी मिलों को शेष गन्ना बकाए का भुगतान शीघ्र करने का निर्देश दिया गया है।